किरण बनाम गजराज

...ांक आज्ञा कार्यवाही	138/2022 आज्ञा विस्तृत रूप से T.9.
[illegible]/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व... प्रकरण से संबंधित इस वाद का निस्तारण किया जा चुका है इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
जयपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र क्रमांक 138 /2022

किरण मीणा पत्नि श्री सूरजप्रकाश मीणा आयु 46 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम टोडीरमजानीपुरा जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

गजराज सिंह मीणा पुत्र श्री बनियाराम मीणा जाति मीणा निवासी मकान नम्बर 1–ए केसर विहार, सुरज कुण्ड रोड तहसील चाकसू जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न पेश है:–

1 यह कि प्रार्थीया ने वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुदृढ तथ्यों के आधार पर पेश किया हैं जिसमें प्रार्थीया को सफलता की पूरी–पूरी आशा है।

2 यह कि प्रार्थीया के स्वामित्व, अधिकार की कब्जेशुदा खातेदारी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 428/237 रकबा 0.14 हैक्टैयर ग्राम टोडीरमजानीपुरा पटवार हल्का जगतपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज है उक्त भूमि को प्रार्थीया के द्वारा जरिये विक्रय पत्र 22.06.2005 को विक्रय की समस्त औपचारिकताये पूर्ण करते हुये अपने नाना ससुर श्री रि[illegible] करोल से खरीद की हुई है जिसमें प्रार्थीया का 14/30 हि[illegible] जिसका तकासमा भी हो

–किरण मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.17 16:53:48 IST
Reason: SelfAttested